

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3067
जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है
राज्यीय मार्गों का उन्नयन

†3067. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 13,065 किलोमीटर राज्यीय मार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) में उन्नयन किए जाने संबंधी मानदंड क्या हैं और प्रत्येक राज्य में 2014 से 2024 तक वर्षवार कितने किलोमीटर मार्ग उन्नयन किए गए हैं;
- (ख) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के कन्वर्जन में आंध्र प्रदेश को दिए गए असमानुपातिक पक्षपात को उचित ठहराती है, जबकि कई पिछड़े और सीमावर्ती राज्य लगातार अल्प निवेश से जूझ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य योजनाओं के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यवार आवंटित कुल बजट/उपयोग की गई निधि कितनी है;
- (घ) राज्यीय मार्गों के कन्वर्जन के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटित निधि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है और वर्तमान निधि उपयोग की स्थिति क्या है; और
- (ङ) क्या इन राष्ट्रीय राजमार्ग कन्वर्जन से संबंधित कोई अंतर-मंत्रालयी समितियां जांच के लिए गठित की गई हैं और यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उन पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित राज्यीय सड़कों को समय-समय पर सुस्थापित व्यापक सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोषित किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: -

- i. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानियों को राज्य की राजधानियों/ राज्य की परस्पर राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा विकास के लिए चिन्हित पत्तन, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों को परस्पर जोड़ने वाली सड़कें।
- ii. पहाड़ी और अलग-थलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामरिक महत्व वाली सड़कें।
- iii. मुख्य सड़कें जो यात्रा की दूरी को कम करने और पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल करने में सक्षम बनाती हैं।

iv. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के बड़े भूभागों से जुड़ने में मदद करती हैं।

v. प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ अनुरूप सड़कें।

सरकार को समय-समय पर आंध्र प्रदेश राज्य के साथ-साथ पिछड़े और सीमावर्ती राज्यों सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य की सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित/उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य के साथ-साथ पिछड़े और सीमावर्ती राज्यों सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अधिसूचित ग्रीनफील्ड खंडों सहित राज्य सड़कों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य यातायात घनत्व, संपर्कता की आवश्यकता, सड़क की स्थिति, परस्पर प्राथमिकता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के साथ तालमेल के आधार पर किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को जारी की गई निधि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध-I

राज्यीय मार्गों का उन्नयन के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3067 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य के साथ-साथ पिछड़े और सीमावर्ती राज्यों सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अधिसूचित ग्रीनफील्ड खंडों सहित राज्य सड़कों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण : -

लंबाई किमी में												
क्र. स.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	80	669	927	412	501	0	846	447	481	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	733	0	0	0	0	0	0	0	1,748	82	0
3	असम	76	18	38	0	0	0	97	71	0	0	0
4	बिहार	164	160	0	29	481	0	413	169	0	162	24
5	छत्तीसगढ़	0	0	162	291	15	0	15	0	0	0	0
6	दिल्ली	0	0	-11	10	87	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	31	0	0	6	0	0	0	0
8	गुजरात	978	0	46	729	585	265	844	141	0	214	12
9	हरियाणा	185	395	-74	165	378	0	71	23	132	0	-44
10	हिमाचल प्रदेश	70	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	जम्मू और कश्मीर	274	8	0	0	96	0	0	55	124	59	0
12	झारखंड	11	0	0	0	682	0	26	37	0	203	0
13	कर्नाटक	138	70	260	795	132	0	77	229	461	69	0
14	केरल	0	0	0	21	0	0	0	0	76	0	0
15	मध्य प्रदेश	0	9	2,660	271	493	0	178	121	93	0	113
16	महाराष्ट्र	734	387	8,022	2,345	0	174	265	122	142	-13	16
17	मणिपुर	255	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0
18	मिजोरम	245	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0
19	नागालैंड	106	0	49	0	0	0	0	123	0	0	0

लंबाई किमी में												
क्र. स.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
20	ओडिशा	0	193	0	576	331	0	136	0	0	0	0
21	पंजाब	233	530	0	569	5	50	775	140	0	0	24
22	राजस्थान	80	20	0	1,041	1,426	0	8	127	230	0	27
23	सिक्किम	170	154	0	0	0	0	246	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	0	0	1,844	0	0	117	0	142	0	0
25	त्रिपुरा	0	233	1	0	0	0	0	0	35	0	0
26	तेलंगाना	0	119	751	526	0	0	469	661	0	0	0
27	उत्तराखंड	432	0	0	0	12	0	463	240	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	620	-45	131	2,733	360	0	94	414	54	129	-19
29	पश्चिम बंगाल	0	46	0	7	591	0	0	9	0	235	0
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0

नोट: पुनर्संरचना/बाईपास निर्माण/लंबाई को अधिसूचित न करने आदि के कारण ऋण आंकड़े।

राज्यीय मार्गों का उन्नयन के संबंध में श्री सुदामा प्रसाद द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3067 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएचआई को जारी की गई निधि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण: -

राशि करोड़ रूपयों में											
क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	4,281	4,281	5,890	5,890	6,957	6,957	11,440	11,440	11,777	11,756
2	अरुणाचल प्रदेश	2,512	2,512	2,718	2,718	3,140	3,140	2,649	2,649	3,972	3,599
3	असम	3,753	3,753	3,150	3,150	4,557	4,557	9,137	9,137	7,209	7,207
4	बिहार	6,716	6,716	9,174	9,174	9,347	9,347	10,749	10,749	8,840	8,840
5	छत्तीसगढ़	2,224	2,224	1,936	1,936	2,468	2,468	4,255	4,255	2,392	2,280
6	गोवा	734	734	615	615	673	673	620	620	851	651
7	गुजरात	7,533	7,533	10,710	10,710	9,831	9,831	10,900	10,900	8,262	8,091
8	हरियाणा	10,651	10,651	7,203	7,203	3,924	3,924	6,062	6,062	4,391	4,344
9	हिमाचल प्रदेश	2,033	2,033	3,164	3,164	4,534	4,534	5,175	5,175	3,998	3,994
10	झारखंड	2,627	2,627	2,853	2,853	3,127	3,127	4,599	4,599	5,334	5,169
11	कर्नाटक	5,838	5,838	7,681	7,681	6,763	6,763	12,695	12,695	11,147	10,819
12	केरल	12,831	12,831	10,136	10,136	3,994	3,994	10,419	10,419	5,100	5,082
13	मध्य प्रदेश	8,25	8,25	9,00	9,00	6,21	6,21	7,44	7,44	7,81	7,79

राशि करोड़ रूपयों में											
क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		0	0	6	6	0	0	7	7	9	9
14	महाराष्ट्र	20,844	20,844	18,655	18,655	18,355	18,355	19,867	19,867	18,697	18,512
15	मणिपुर	978	978	2,142	2,142	2,737	2,737	2,598	2,598	2,018	2,011
16	मेघालय	861	861	819	819	684	684	1,803	1,803	1,835	1,697
17	मिजोरम	1,238	1,238	2,054	2,054	3,218	3,218	2,189	2,189	2,114	2,091
18	नागालैंड	2,382	2,382	1,943	1,943	1,666	1,666	1,414	1,414	1,681	1,600
19	ओडिशा	5,336	5,336	4,510	4,510	4,643	4,643	5,948	5,948	6,121	5,786
20	पंजाब	3,301	3,301	7,179	7,179	10,093	10,093	12,419	12,419	8,137	7,898
21	राजस्थान	7,340	7,340	11,353	11,353	9,719	9,719	8,874	8,874	6,330	6,301
22	सिक्किम	1,053	1,053	811	811	1,008	1,008	684	684	473	441
23	तमिलनाडु	4,868	4,868	4,305	4,305	8,230	8,230	9,925	9,925	9,077	9,068
24	तेलंगाना	2,907	2,907	3,458	3,458	3,622	3,622	6,117	6,117	7,564	7,496
25	त्रिपुरा	1,026	1,026	1,085	1,085	1,156	1,156	1,546	1,546	778	767
26	उत्तर प्रदेश	18,768	18,768	13,944	13,944	21,453	21,453	28,114	28,114	20,682	20,665
27	उत्तराखंड	2,800	2,800	2,112	2,112	3,219	3,219	4,545	4,545	3,996	3,835
28	पश्चिम बंगाल	2,658	2,658	3,642	3,642	3,053	3,053	3,543	3,543	2,241	2,240
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	349	349	246	246	143	143	96	96	204	204

राशि करोड़ रूपयों में											
क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
30	चंडीगढ़	2	2	6	6	1	1	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	43	43	30	30	26	26	2	2	100	46
32	दमन और दीव										
33	दिल्ली / मुख्यालय	-	-	3,96	3,96	7,16	7,16	3,22	3,22	2,84	2,84
		1,48	1,48	1	1	4	4	3	3	0	0
		2	2								
34	जम्मू और कश्मीर	2,93	2,93	6,81	6,81	7,37	7,37	10,5	10,5	10,3	10,2
		2	2	7	7	0	0	28	28	31	04
35	लद्दाख	24	24	352	352	574	574	658	658	794	768
36	पुदुचेरी	21	21	1	1	61	61	35	35	29	23

आवंटन - आबंटन; व्यय - व्यय

वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ऋण आंकड़े उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को परियोजना/व्यय के हस्तांतरण को दर्शाते हैं।
